



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि  
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल  
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 -2551967, 2776575 बाबई फार्म 9826362149

गेहूँ एवं धान (क्रांति) विक्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2022



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305 बाबई फार्म 9826362149  
Email: [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com)

## गेहूँ एवं धान (क्रांति) के विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

मेसर्स/श्री .....से निविदा प्रपत्र के  
मूल्य हेतु राशि रूपये 1000/-( रूपये एक हजार मात्र ) मनीरसीद क्रमांक..... दिनांक .  
..... से प्राप्त किये गये।

निविदा प्रपत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा -

दिनांक 17.05.2022

को

अपरान्ह 1.00 बजे तक.

सीलबंद निविदा प्रपत्र निगम मुख्यालय में जमा

दिनांक 17.05.

2022

अपरान्ह 3.00 बजे तक.

प्राप्त निविदा खोलने की समय सीमा -

दिनांक 17.05.2022

को

अपरान्ह 3.30 बजे

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि  
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल  
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

क्रमांक/मुख्या/बाबई-44/2022/

दिनांक 22.04.2022

## गेहूँ एवं धान (क्रांति) के विक्रय हेतु निविदा सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध गेहूँ (किस्म-जी.डब्ल्यू 322) मात्रा लगभग **1580** क्विंटल एवं धान (क्रांति) लगभग **1663** क्विंटल के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदायें दिनांक **17.05.2022** को आमंत्रित की जाती है । विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org) पर उपलब्ध है। निविदा सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए उपर्युक्त वेबसाईट पर ही दी जायेगी ।

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305  
Email: [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com)

कमांक / मुख्या / बाबई-44 / 2022 /

दिनांक 22.04.2022

## गेहूँ एवं धान (क्रांति) के विक्रय हेतु निविदा सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में रबी 2022 में उत्पादित गेहूँ मात्रा लगभग 1580 क्विंटल एवं खरीफ 2021 में उत्पादित धान (क्रांति) लगभग 1663 क्विंटल के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदायें दिनांक 17.05.2022 को आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org) पर उपलब्ध है। निविदा सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए उपर्युक्त वेबसाईट पर ही दी जायेगी।

प्रबंधक (बाबई)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के व्यापारियों से सम्पर्क कर निविदा में भाग लेने हेतु प्रेरित करें।
2. प्रभारी, यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई की ओर भेजकर लेख है कि वे प्रक्षेत्र के आसपास के व्यापारियों को निविदा सूचना की जानकारी भेजकर निविदा में भाग लेने हेतु प्रेरित करें एवं निर्धारित मूल्य पर संलग्न निविदा प्रपत्र उपलब्ध करायें।

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305  
Email: [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com)

### गेहूँ एवं धान (क्रांति) के विक्रय हेतु आमंत्रित दर प्रस्ताव की शर्तें

1. गेहूँ एवं धान को इस दर प्रस्ताव में "खाद्यान्न" लिखा गया है ।
2. विक्रय की जाने वाली "खाद्यान्न" के नमूनों तथा निर्धारित **17.05.2022** को प्रातः 11.30 बजे तक देखे जा सकते हैं ।
3. इच्छुक क्रेता अपना दर प्रस्ताव दिनांक **17.05.2022** अपरान्ह 3.00 बजे तक निगम के पंचानन भवन स्थित मुख्यालय में उपलब्ध टेन्डर बाक्स में मय संकल्प धनराशि के " बैंक ड्राफ्ट" के साथ जमा कर सकेंगे । दर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र जारी करने, प्राप्त करने की समय सीमा पृष्ठ क्रमांक 02 में उल्लेखानुसार रहेगी । दर प्रस्ताव **दिनांक 31.05.2022** तक स्वीकृत करने हेतु निगम अधिकृत रहेगा ।
4. इच्छुक क्रेता लिफाफा क्र.-01 में निविदा प्रपत्रों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर व आवश्यक संकल्प धनराशि का निगम के पक्ष में भोपाल में देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर सीलबंद करेंगे व अपना वित्तीय प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 08 पर दिये संलग्न प्रपत्र-2 में पूर्ण भरकर लिफाफा क्र.-02 में सील बंद कर रखेंगे । दोनों लिफाफे एक मुख्य लिफाफे में बंद कर निर्धारित समय-सीमा में जमा करायेंगे । लिफाफा क्र.-02 में रखे जाने वाले वित्तीय प्रस्ताव में दरों का उल्लेख अंकों/शब्दों दोनों में होगा एवं यदि अंकों तथा शब्दों में लिखी दरों में अंतर पाये जाने पर अंकों में लिखित दर मान्य की जायेगी ।
5. विक्रय की जाने वाली "खाद्यान्न" पर लगने वाले सभी प्रकार के टेक्स, एवं कृषि उपज मंडी बाबई के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने, चुंगी इत्यादि के लिए इच्छुक क्रेता उत्तरदायी रहेंगे । निगम को दी गई दर में उपरोक्त सभी राशियां सम्मिलित नहीं मानी जाएगी ।
6. बिना संकल्प धनराशि के प्राप्त किसी भी दर प्रस्ताव को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा । **संकल्प धनराशि गेहूँ हेतु रु. 3.00 लाख एवं धान हेतु रु. 3.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो "एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि"के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न की जाना अनिवार्य है।**
7. किसी भी दर प्रस्ताव को पूर्णतः/आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा ।
8. समस्त खाद्यान्न निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध है। क्रेता को खाद्यान्न का पूर्ण स्कन्ध प्रक्षेत्र से अपने स्वयं के व्यय पर स्वयं उठाना होगा ।
9. विक्रय किये जाने वाले खाद्यान्न "जहां है जैसी है" के आधार पर प्रदाय किया जायेगा ।

10. लिफाफा क्र 1 एवं लिफाफा क्र. 2 पर निविदाकार स्वयं का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखे तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाये तथा सीलबंद किया जाये । बड़े लिफाफे पर धान हेतु निविदा" लिखा जाए सर्वप्रथम लिफाफा क्रमांक 1 खोला जायेगा जिसमें प्रपत्र क्रमांक 1 के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं संकल्प धन राशि की जांच की जायेगी । दोनों कार्यवाहियां पूर्ण होने पर ही लिफाफा क्रमांक 2 खोला जायेगा । दर लिफाफा क्रमांक 2 में प्रस्तुत की जाए ।
11. दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि आफरकर्ता द्वारा विक्रय की जाने वाली "खाद्यान्न" के नमूनों को देख लिया है तथा निगम द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत होकर दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।
12. प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जायेगी । अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे गेहूँ एवं धान क्रय हेतु अपनी अधिकतम दर देवें । निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुशंसित दर का प्रति प्रस्ताव अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें अथवा सभी वैद्य निविदाकर्ताओं को पुनः निर्धारित तिथि एवं समय तक बंद लिफाफे में दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें (यह प्रक्रिया स्नेप बिडिंग कहलायी जायेगी) ।
- 12.1 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुशंसाये निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जायेगी । प्रबंध संचालक द्वारा कंडिका क्र.-12 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए गेहूँ एवं धान विक्रय हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा ।
13. दर प्रस्ताव स्वीकृति की जानकारी/प्रति प्रस्तावित दर (यदि निगम द्वारा आवश्यक समझा जायेगा) निविदाकर्ता को लिखित में दी जाएगी । निविदा स्वीकृति की दिनांक से 07 दिवस के अंदर, संबंधित अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर के आधार पर कुल खाद्यान्न की देय राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट जो एम.पी.स्टेट एग्री इन्ड.डेव्ह.कार्पो. लि. के नाम से बाबई में देय होगा अथवा निगम के खाता क्र. 6937001800000017, पंजाब नेशनल बैंक प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई से लिखित अनुमति प्राप्त कर नगद जमा कराना होगा । राशि प्राप्त होने के पश्चात ही प्रक्षेत्र प्रभारी, आदेशित खाद्यान्न को उठाने की अनुमति देगें ।
14. निविदा में जो मात्रा उल्लेखित की गई है, वह अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन संभव है तथा निविदाकार को निगम के निर्देशानुसार पूर्ण स्कन्ध क्रय करना बंधनकारी होगा ।
15. उपलब्ध "खाद्यान्न" के अंतिम लाट को प्राप्त करते समय जमा की गई 10 प्रतिशत राशि एवं संकल्प धनराशि को खाद्यान्न के मूल्य से समायोजित किया जा सकेगा ।
16. यदि अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा निगम की लिखित सूचना पत्र के दिनांक से 07 दिवस के अंदर खाद्यान्न मूल्य के 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा जमा संकल्प धनराशि को निगम द्वारा जप्त कर, उनके द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकेगा ।
17. अनुमोदित निविदाकर्ता जिनका दर प्रस्ताव मान्य कर लिया गया है तथा जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत राशि जमा कर दी है, उन्हें उस दिनांक से 21 दिवस में सम्पूर्ण खाद्यान्न आवश्यक रूप से उठाना होगा । अनुमोदित निविदाकर्ता जिस दिन जितना स्कन्ध उठायेंगे, उसकी पूर्ण राशि निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी के पास जमा करायेंगे एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात ही निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई खाद्यान्न उठाने की अनुमति देगें ।
- 17.1 यदि नियत दिनांक तक अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण आदेशित खाद्यान्न नहीं उठाया जाता है तो ऐसी दशा में निगम को अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर प्रक्रिया का निर्धारण कर शेष खाद्यान्न को विक्रय कर दें । यदि इस प्रक्रिया में निगम को किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो उसका उत्तरदायित्व अनुमोदित निविदाकार का होगा एवं निगम को हुई हानि की वसूली अनुमोदित निविदाकार द्वारा जमा की गई 10 प्रतिशत राशि में से भी की जा सकेगी, जिस पर निविदाकार को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा ।

18. विक्रय हेतु निर्धारित शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। दर स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात राशि को जमा करने की अवधि में यदि कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निगम के प्रबंध संचालक संतुष्ट होते हैं, तो वह समय सीमा में परिवर्तन कर सकेंगे, परन्तु ऐसा करना उनके लिये बंधनकारी नहीं होगा। निगम के प्रबंध संचालक द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णय के कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
19. बारदाना बदलना, परिवहन, ट्रक पर चढाई इत्यादि के समस्त व्यय अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे। विक्रय की जाने वाली सामग्री की तुलाई निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अनुमोदित निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष करवाई जाएगी। तुलाई का समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। निगम द्वारा कोई बारदाना प्रदाय नहीं किया जाएगा।
20. जिस फर्म/व्यक्ति द्वारा दिया गया दर प्रस्ताव मान्य किया गया है, उसी के नाम से निगम द्वारा देयक जारी किये जाएंगे।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निगम के प्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रबंधक (बाबई) के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय देंगे। आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये निर्धारित न्यायालय होगा।

**प्रबंधक (बाबई)**



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305  
Email: [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com)

### गेहूँ एवं धान (क्रांति) हेतु संकल्प धनराशि का विवरण

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र ,बाबई जिला, होशंगाबाद में गेहूँ एवं धान के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में संकल्प धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं	खाद्यान्न का नाम	किस्म	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित संकल्प धनराशि (राशि रु. लाख में)	बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट क्र./दि.	राशि
1	गेहूँ	किस्म	1580	3.00 लाख			
2	धान	क्रांति	1663	3.00 लाख			

नोट:-

उपरोक्त विवरण के अनुसार बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करें । चैक किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम.....

.....

2. पता.....

.....

3. दूरभाष क्रमांक.....

.....

7..



(लिफाफा क्र० 2 में रखा जाना है)

प्रति,

प्रबंध संचालक,  
एम पी स्टेट एग्री इण्ड डेव्ह कापो लिमि.  
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर  
भोपाल.

विषय:- गेहूँ एवं धान (क्रांति) विक्रय हेतु निविदा दर प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ:- निगम द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्र दिनांक

समाचार पत्र में प्रकाशित खाद्यान्न के विक्रय हेतु आमंत्रित संदर्भित निविदा सूचना के अनुसार तथा निर्धारित समस्त शर्तों को मान्य करते हुये निम्नानुसार दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

क्रं	खाद्यान्न का नाम	किस्म	ईएमडी राशि लाख में	उत्पादन वर्ष	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	दर प्रति क्विंटल	
						अंकों में	शब्दों में
1	गेहूँ	जीडब्ल्यु 322	3.00 लाख	2022	1580		
2	धान	क्रांति	3.00 लाख	2021	1663		

संकल्प धनराशि गेहूँ हेतु राशि रु. 3.00 लाख एवं धान हेतु राशि रु. 3.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दि.....जो एम.पी. स्टेट एग्री. इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. के नाम से भोपाल पर देय है, संलग्न किया जा रहा है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम.....
2. पता.....
3. दूरभाष क्रमांक.....
4. मण्डी लाईसेंस.....
5. पेन नं.....
6. टिन नं.....
7. बैंक का नाम एवं पता.....
8. बैंक खाता क्र.....
9. जीएसटी नं.....

(लिफाफा क्रमांक 2 में रखा जाये)